न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर

पीठासीन अधिकारी, सांवरलाल आवासरा, आर.ए.एस.

दायर दिनांक 01.12.2020

प्रकरण संख्या 75/20

निर्णय दिनांक 29.07.2025

1. गोतमलाल पुत्र श्री थावरा कोटेड मीणा, उम्र 61 वर्ष नि. तीजवड, तहसील डूंगरपुर
2. शांता पुत्री थावरा पत्नि श्री लालशंकर परमार मीण, उम्र 56 वर्ष निवासी गंधवा पाल फला आकलिया, तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर
3. सविता पुत्री थावरा पत्नि श्री गोमना जी पदमात मीणा उम्र 52 वर्ष निवासी सुन्दरपुर लक्ष्मणपुरा फला भूतिया तहसील एवं जिला डूंगरपुर
4. हाजू पुत्री थावरा पत्नि श्री जीवणलाल परमार मीणा उम्र 47 वर्ष निवासी नरणिया होडा फला तहसील एवं जिला डूंगरपुर
5. बंबली पुत्री थावरा पत्नि श्री राजमल रोत मीणा उम्र 42 वर्ष निवासी हीराता फला बेडिया तहसील एवं जिला डूंगरपुर

बनाम

1. रमेश पुत्र श्री केशु कोटेड मीणा उम्र 35 वर्ष निवासी तीजवड तहसील डूंगरपुर
2. श्रीमती फुली बेवा केशु कोटेड मीणा उम्र 70 वर्ष निवासी तीजवड तहसील डूंगरपुर
3. कान्ति पुत्र कचरा कोटेड मीणा उम्र 50 वर्ष निवासी तीजवड तहसील डूंगरपुर
4. बाबु पुत्र कचरा कोटेड मीणा उम्र 50 वर्ष निवासी तिजवड तहसील डूंगरपुर
5. वासु पुत्र कचरा कोटेड उम्र 42 वर्ष निवासी तीजवडा तहसील डूंगरपुर
6. सोहन पुत्र कचरा कोटेड मीणा उम्र 35 वर्ष निवासी तीजवड तहसील डूंगरपुर
7. श्रीमती मंशा पुत्री कचरा पत्नी श्री मोहनलाल डामोर मीणा उम्र 32 वर्ष निवासी बालाडीट तहसील डूंगरपुर
8. मीरा बेवा कचरा कोटेड मीणा उम्र 85 वर्ष निवासी तीजवड, तहसील एवं जिला डूंगरपुर
9. पप्पू उर्फ प्रकाश पुत्र हकरा कोटेड मीणा उम्र 23 वर्ष निवासी तीजवड तहसील डूंगरपुर
10. गंगा बेवा हकरा कोटेउ मीणा उम्र 53 वर्ष निवासी तीजवड तहसील डूंगरपुर
11. श्री भूमिधारी श्री तहसीलदार तहसील कार्यालय तहसील डूंगरपुर राजस्थान

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् खाते कब्जे एवं काश्त में स्थित जमीन का बंटवारा करने।

उपस्थित वकील :—

1. श्री लक्ष्मीलाल जैन अधिवक्ता,	वादीगण की ओर से
2. एक पक्षीय कार्यवाही	प्रतिवादीगण की ओर से
3. सरकार जरिये तहसीलदार	पैरोकार सरकार

उपखण्ड अधिका...
डूंगरपुर

–: निर्णय :–

दिनांक 29.07.2025

वादी गोतमलाल पुत्र थावरा कोटेड व अन्य की ओर से बंटवारा किये जाने हेतु न्यायालय में बटवारा वाद प्रस्तुत किया कि स्व. पेमा के दो पुत्र थे, एक थावरा एवं दूसरा कचरा भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा जारी रेवेन्यु रिकॉड संवत 2019 से 2039 में अंकितानुसार मौजा तीजवड पटवार हल्का बिलडी तहसील एवं जिला डूंगरपुर में उक्त दोनो व्यक्ति थावरा एवं कचरा के बराबर हिस्से में निम्न आराजीयात स्थित चली आ आ रही है।

क्र.सं.	आराजी नम्बर	क्षेत्रफल
1	316	1 बीघा 10 बिस्वा
2	317	3 बीघा 9 बिस्वा
3	318	19 बिस्वा
4	319	14 बिस्वा
5	321	3 बिस्वा
6	322	16 बिस्वा
7	324	3 बिस्वा मकान
8	325	1 बीघा 10 बिस्वा
9	326	3 बीघा 12 बिस्वा
10	410	1 बीघा 10 बिस्वा
11	411	4 बिस्वा
12	412	4 बिस्वा
13	413	5 बिस्वा
14	414	2 बीघा 5 बिस्वा
15	859/323 आवंटित	6 बीघा
	योग	23 बीघा 3 बिस्वा

थावरा एवं कचरा की मृत्यु के बाद थावरा के वारिसान वादीगण नम्बर 1 से 5 तथा कचरा कि मृत्यु पर प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 10 तक इसी प्रकार चला आ रहा आ रहा है। प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 10 ने मिलकर समय–समय पर उनके हिस्से की जमीन मेसे आराजी नम्बर 318 की 18 बिस्वा, आराजी नम्बर 319 की 14 बिस्वा आराजी नम्बर 315 की 11 बिस्वा, आराजी नम्ब्र 317 की एक बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 859/323 की 2 बीघा 12 बिस्वा, कृषि जमीन को श्रीमती सविता पत्नी श्री कान्तिलालजी मीणा निवासी थाणा तहसील एवं जिला डूंगरपुर को विक्रय कर दी है। इस प्रकार प्रतिवादीगण ने वाद में वर्णित आराजियात की उनके हिससे की कुलान 6 बीघा 5 बिस्वा जमीन विक्रय की है इसी प्रकार आराजी नम्बर 324 की तीन बिस्वा जमीन पर मकान कचरा के वारिसान का है तथा आराजी नम्बर 325 की एक बीघा दस बिस्वा कृषि जमीन है जिसे भी प्रतिवादीगण ने दीगर केतागण को विकय कर दी हैं चूँकि वादीगण भी सभी आराजियात के संयुक्त खातेदार कृषक प्रतिवादीगण नम्बर एक से दस के साथ है इस कारण खातेदार कृषक प्रतिवादीगण नम्बर एक से दस के साथ है इस कारण कुछ विकय पत्रों में वादीगण के भी हस्ताक्षर बतौर विकेतागण आवश्यक होना बताकर प्रतिवादीगण द्वारा करवाये गये है लेकिन वास्तव में विकय की गई जमीन को वादीगण ने न तो विकय किया है और न विकय राशि प्राप्त की है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बंटवारे में

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

..द में वर्णित कुलान 23 बीघा 3 बिस्वा कृषि जमीन मेंसे आधी कृषि जमीन वादीगण के हक की है तथा अधीन जमीन प्रतिवादीगण नम्बर एक से दस के हक की है। जिसमें से प्रतिवादीगण नम्बर एक से दस के द्वारा विकय की गयी कुलान 7 बीघा 18 बिस्वा जमीन कम की जाकर शेष जमीन उनके हिस्से में दी जावे। वाद प्रस्तुत होने पर न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादियों को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1, 3 एवं 4 उपस्थित उपस्थित होकर वकालत पत्र पेश किया। उनकी ओर से जवाब प्रस्तुत नही होने से जवाब बन्द किया जाकर साक्ष्य वादी होने से श्री गौतम पिता थावरा कोटेड एवं धना का शपथ पत्र पेश किया। प्रतिवादीगण संख्या 2, 5 से 11 पेशी दिनांक 8.1.23 पर अनुपस्थित उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल लायी गई। प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 स्वयं तथा उनके वकील अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। PW 1 श्री गौतमलाल एवं PW 2 श्री धना के शपथ पत्र पर बयान लिखे गये जिस पर प्रदर्श 1 A भू प्रबन्ध (सेटलमेंट विभाग का) पर्चा, प्रदर्श 2 A पडत भूमि वितरण का आदेश, प्रदर्श 3 व 4 थावरा एवं कचरा के खाते की जमाबंदी प्रदर्श 5 व 6 वादीगण के खाते की जमीन की गिरदावरी, प्रदर्श 7 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श 8 जमाबदी रमेश, प्रदर्श 9 व 10 जमाबंदी वाद पक्षकार एवं प्रदर्श 11 नक्शा ट्रेस है। वादी और कोई साक्षय पेश करना नही चाहते है प्रकरण में एक पक्षीय बहस सूनी गई। वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए बटवारा स्कीम हेतु प्रारम्भिक निर्णय एवं डिकी के आदेश पारित किये गये।

तहसीलार डूंगरपुर द्वारा प्रारम्भिक डिकी के अनुसार मौके पर बंटवारा पक्षकारों के बीच बटवारे किये जाकर कब्जे एवं रिकार्ड के अनुसार बटवारा स्कीम प्रस्तुत की गयी । जिसे नीचे अंकित सारणी में दशार्या गया है।

खाते अनुसार कुल दर्ज भूमि					जिसके हिस्से में आयी उस खातेदार का नाम							
					श्री गौतमलाल, शांता, सविता, हाजु, बबली पिता थावरा 10/15 हि.ब.भील सा. देह				श्री कान्ति मंशा मोहन उर्फ सोहन पिता कचरा, मीरं पत्नी स्व. कचरा 4/12 हि.ब.भील सा. देह खातेदार			
खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा	किस्म	लगान	खसरा संख्या	रकबा	किस्म	लगान	खसरा संख्या	रकबा	किस्म	लगान
50	1140/379	0.43	पडत	0.43	1140/379	0.43	पडत	0.43	–	–	–	–
	1140/385	0.73	बरानी 3	2.19	1140/385	0.73	बरानी 3	2.19	–	–	–	–
	योग	1.16		2.62	योग	1.16		2.62	–	–	–	–

खाते अनुसार कुल दर्ज भूमि					जिसके हिस्से में आयी उस खातेदार का नाम							
					श्री गौतमलाल, शांता, सविता, हाजु, बबली पिता थावरा हिस्सा 1/2 हि.ब. जाति भील सा.देह खातेदार				श्री कान्ति, बाबु, वासु पिता कचरा 261/1120 हि.ब., मोहन उर्फ सोहन पिता कचरा, मीरं पत्नी स्वं. कचरा 15/56 हि.ब., गंगा पत्नी हकरा, नाबालिग पप्पू पिता हकरा संरक्षक सरपरस्त माता गंगा हिस्सा 87/1120 हि.ब., रमेश पिता केशु, फूली पत्नी स्व.केशु 15/112 हि.ब., दिलीप पिता रतनलाल परमार हिस्सा 23/80 जाति भील			
खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा	किस्म	लगान	खसरा संख्या	रकबा	किस्म	लगान	खसरा संख्या	रकबा	किस्म	लगान
68	383	0.03	पडत	0.03	–	–	–		383	0.03	पडत	0.03
	योग	0.03	पडत	0.03	योग	0	0	0	योग	0.03	पडत	0.03

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

खाते अनुसार कुल दर्ज भूमि					जिसके हिस्से में आयी उस खातेदार का नाम							
खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा	किस्म	लगान	श्री गौतमलाल, शांता, सविता, हाजु, बबली पिता थावरा हिस्सा 1/2 हि.ब सा.देह खातेदार जाति मील				श्री कान्ति, बाबु, मोहन उर्फ सोहन, वासु पिता कचरा हिस्सा 43/120 हि. ब.,मीरं बेवा स्व. कचरा हिस्सा 7/48, गंगा पत्नी हकरा, नाबालिग पप्पू पिता हकरा संरक्षक सरपरस्त माता गंगा हिस्सा 43/480 हि.ब. ,दिलीप पिता रतनलाल परमार हिस्सा हि. ब 13/32 जाति मील			
					खसरा संख्या	रकबा	किस्म	लगान	खसरा संख्या	रकबा	किस्म	लगान
69	384	0.13	पडत	0.13	–	–	–	–	384	0.13	पडत	0.13
	395	0.58	बरानी 2	2.9	395/1	0.17	बरानी 2	0.8	395/2	0.41	बरानी 2	2.1
	486	0.24	पडत	0.24	486	0.24	पडत	0.24	–	–	–	–
	487	0.03	बरानी 2	0.15	487	0.03	बरानी 2	0.15	–	–	–	–
	488	0.03	बरानी 2	0.15	488	0.03	बरानी 2	0.15	–	–	–	–
	489	0.04	बरानी 2	0.2	–	–	–	–	489	0.04	बरानी 2	0.2
	490	0.37	पडत	0.37	490	0.055	पडत	0.04	490/1	0.315	पडत	0.34
	योग	1.42		4.14		0.525		1.38		0.895		2.77

खाते अनुसार कुल दर्ज भूमि					जिसके हिस्से में आयी उस खातेदार का नाम							
खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा	किस्म	लगान	श्री गौतमलाल, शांता, सविता, हाजु, बबली पिता थावरा जाति मील 12/19 हि.ब				श्री कान्ति, मंशा, मोहन उर्फ सोहन पिता कचरा, मीरं पत्नी कचरा 4/5 हि.ब. गंगा पत्नी हकरा, नाबालिग पप्पू पिता हकरा संरक्षक सरपरस्त माता गंगा 1/5 हि.ब. सा.देह खातेदार			
					खसरा संख्या	रकबा	किस्म	लगान	खसरा संख्या	रकबा	किस्म	लगान
421	1144/378	0.19	बीड	0.38	1144/378	0.19	बीड	0.38	–	–	–	–
	योग	0.19		0.38		0.19		0.38				

तहसीलदार डूंगरपुर द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम मौजा तीजवड पटवार मण्डल बिलडी राजस्व रिकॉर्ड अनुसार उपरोक्त हिस्से अंकित करते हुए बंटवारा स्किम प्रस्तुत की गई है बटवारा स्कीम की परिशिष्ठ अ ब स द एवं नक्शा ट्रेस A, B, C, D है। प्रकरण में बंटवारा स्किम की एक पक्षीय बहस सूनी गई। वकील वादी द्वारा बंटवारा स्किम के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ती नही होना जाहीर किया ।

प्रारम्भिक डिकी के आधार पर आई बंटवारा स्कीम के तहत प्राप्त पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अन्तिम डिकी जारी किया जाना उचित समझने से अन्तिम निर्णय/डिकी पारित की जाती है।

कियात्मक आदेश

वाद वादीगण अन्तिम डिकी किया जाकर आदेश दिया जाता है मौजा तीजवड पटवार मण्डल बिलडी में उपरोक्तानुसार सारणी अनुसार हिस्से खाते कब्जे काश्त की भूमि में वादी 1 से 5 एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10के मध्य हिस्से राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होकर कायम है। रिकॉर्ड एवं मौके पर कब्जे अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच बंटवारा स्कीम प्राप्त हुई है उसी अनुसार अन्तिम डिकी पारित की जाती है। तहसीलदार डूंगरपुर को अन्तिम डिकी जारी कर आदेशित किया जाता है कि तहसीलदार डूंगरपुर द्वारा बटवारा स्कीम की परिशिष्ठ अ ब स द एवं नक्शा ट्रेस A, B, C, D इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगें तदनुरार खातेदारान का नाम राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करते हुये अलग खाते कायम करें। निर्णययानुसार अन्तिम डिकी जारी की जावे। पत्रावली शुमार होकर दाखित दफतर की जावे।

अन्तिम निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को सुनाया गया ।

(सांवलाल आबासरा)
उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर